न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 11 सन 2019

अनवान :–

1. दुर्गाप्रसाद 2 फुसाराम पि0 मालुराम जाति ब्रहाम्ण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

बनाम

1. बाबूलाल 2 विधाधर 3 दयाराम पि0 मालुराम जाति ब्रहाम्ण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
4. मोहनी पत्नी स्व मालुराम जाति ब्रहाम्ण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
5 भंवरी 6 गायत्री पुत्रीया मालुराम जाति ब्रहाम्ण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 17.01.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 387/376 के खसरा न0 219 की 6.2850हैक , खसरा न0 480/2 की 5.0600हैक , खसरा न0 558 की 0.8220हैक खसरा न0 612 की 3.0600 , खसरा न0 613/1 की 9.3550हैक खसरा न0 624/1128 की 2.0110हैक खसरा न0 705/2 की 11.8350हैक कुल 38. 1920हैक भूमि जो मालूराम पुत्र लाधुराम के नाम से दर्ज थी एवं रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 132/85 के खसरा न0 70/3 की 7.2210हैक भूमि मालूराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आई है विरासतन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में जिसके कारण वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ,6 वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की बहने जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा नानू के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरासतन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ,6 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

Web Copy - Not Official

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उताधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ,6 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ,6 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 5 ,6 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि फुसाराम के पास रोही मोजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 387/376 के खसरारा न0 406/2 की 5.0120हैक खसरा न0 612 की 3.0600हैक खसरा न0 613/1 की 0.253, खसरा न0 624/1128 की 1.005हैक भूमि रहेगी ।दुर्गाप्रसाद , बाबुलाल के पास रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 387/376 के खसरा न0 624/1128/1 की 1. 0855हैक खसरा न0 613/1/2 की 9.105हैक , खसरा न0 705/2/1 की 4.4185हैक एवं रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 132/85 की कुल 7.2210हैक भूमि में से 2.530हैक भूमि बाबुलाल का आथूणा व 2.7935है दुर्गाप्रसाद अगूणा पासा की रहेगी।विधाधर के पास रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 387/376 के खसरा न0 705/2 की 7.22315हैक भूमि उतरादा पासा व राणीसर के खाता संख्या 132/85 की 7.2210हैक मे से 0.6325हैक भूमि रहेगी।दयाराम के पास रोही मोजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 387/376 के खसरा न0 219 की 6.2850हैक खसरा न0 558 की 0. 8220हैक भूमि रहेगी एवं राणीसर के खाता संख्या 132/85 की कुल 7.2210हैक में से 1.265हैक भूमि रहेगी ।इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official